1(15) E-II (A)/2009
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 14th May, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Purchase of Note Book/Laptop computers by Ministries/Departments.

*****

The undersigned is directed to invite attention to OM No.1(15)/EII(A)/2009 dated 26.05.2009 on the abovementioned subject and to say that in partial modification thereof it has been decided that on handing over the charge of the post, the officer may be given option to retain the laptop on payment of book value.

2. For the purpose of calculation of book value a depreciation of 15% per year may be adopted. Thus an officer who has had a term of five years will be required to pay 25% of original cost of the laptop at the time of handing over charge at the end of the term deducting depreciation of 75%(15x5). In case of loss, the loss will be recovered from the officer based on the book value of the laptop after allowing for depreciation of 15% per annum as stated above.

3. All other terms & conditions in this regard remain unchanged.

RPremanand
(R.Prem Anand)
Under Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries/Departments of Government of India
2. All Financial Advisers.

1(15) ई-II(ए)/2009
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 14 मई, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मंत्रालयों/ विभागों द्वारा नोट बुक/ लैपटॉप कम्प्यूटर की खरीद।

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26/05/2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(15)/ ई II(ए)/2009 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि पदभार सौंपते समय अधिकारी को अंकित मूल्य के भुगतान पर लैपटॉप अपने पास रखने का विकल्प दिया जाए।

2. अंकित मूल्य की गणना के लिए मूल्यह्रास प्रति वर्ष 15 प्रतिशत माना जाए। इस प्रकार, एक अधिकारी जिसका कार्यकाल पांच वर्ष है उसे कार्यकाल के अंत में पदभार सौंपते समय 75% (15x5) मूल्यह्रास घटाकर लैपटॉप की मूल लागत के 25% का भुगतान करना होगा। गुम होने की स्थिति में अधिकारी से क्षति की वसूली, लैपटॉप के अंकित मूल्य के आधार पर यथोक्त विधि से प्रति वर्ष 15% का मूल्यह्रास काटकर की जाएगी।

3. इस संबंध में अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आर.प्रेम आनंद

(आर.प्रेम आनंद)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग
2. सभी वित्तीय सलाहकार